1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	2588	2624	350000	400000	1200000
मणिपुर	24	41	54449	65890	शून्य
मेघालय	16	48	193000	1115	33
मिजोरम	23	99	3288	5058	1607
नागालैण्ड	20	24	30000	शून्य	शून्य
उड़ीसा	608	887	शून्य	17871	8608
राजस्थान	718	910	106667	326463	14030
सिक्किम	400	2	शून्य	30000	207
तमिलनाडु	11	19	3000	39447	397253
त्रिपुरा	25	32	शून्य	17995	80
उत्तर प्रदेश	1141	1141	76255	80305	5560000
पश्चिम बंगाल	826	35	47437	15060	34829
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	12	18	शून्य	369	4407
दादरा तथा नगर हवेली	2	6	1000	1015	45
दमन व दीव	3	1	शून्य	शून्य	शून्य
लक्षद्वीप	5	1	शून्य	शून्य	शून्य
योग :	10580	10433	2675898	2562899	9303485

उपभोक्ता संरक्षण केन्द्रों में शिकायतें

1456 श्री कामेश्वर पासवान : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि एल. पी. जी. वितरक द्वारा गैस का चूल्हा उसके यहां से खरीदने के लिए बाध्य करने संबंधी शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण केन्द्र में दर्ज नहीं कराई जा सकती क्योंकि शिकायतकर्ता को तब तक उपभोक्ता नहीं माना जाता जब तक कि वह गैस का चूल्हा नहीं खरीदता ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सार्वजनिक हित में ऐसी खामियों को दूर करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में ऐसे गैस वितरकों के विरुद्ध उपभोक्ता किस अधिकारी के पास अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार राज्यों में कार्यरत उपभोक्ता संरक्षण केन्द्रों द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज नहीं करने और उनके द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के विरुद्ध दिशा-निर्देश जारी कर सकती है; और

(ङ) क्या सरकार उपभोक्ता संरक्षण केन्द्र सिवान (बिहार) के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है जो व्यवसायी /विक्रेता संरक्षण केन्द्र की तरह कार्य कर रहा है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति तब तक इस अधिनियम के परिकल्पित प्रतितोष एजेन्सियों के पास कोई शिकायत नहीं दायर कर सकता है जब तक कि वह किसी प्रतिफल के लिए कोई वस्तु नहीं खरीदता है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कार्यक्षेत्र में अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही करना नहीं आता है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) इस समय ऐसी शिकायतें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के तहत दर्ज कराई जा सकती हैं।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

1457. चौधरी हरमोहन सिंह :—क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें गत छः मास के दौरान संसद-सदस्यों से कितने पत्र/अभ्यावेदन /ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें पन्द्रह दिन के अन्दर पावती भेज दी गई और कितने मामलों में अन्तिम उत्तर अब तक नहीं भेजा गया है ;

(ग) पन्द्रह दिन के अन्दर पावती और तीन मास के अन्दर अन्तिम उत्तर न भेजने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो पावती और अन्तिम उत्तर विलम्ब से भेजने, अन्तिम उत्तर न भेजने और संसद-सदस्यों को गुमराह करने के दोषी पाए गए हैं तथा उनको क्या सजा दी गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) गत 6 महीनों के दौरान मंत्रालय में संसद सदस्यों से कुल 122 संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) लगभग सभी मामलों में पावतियां तत्काल भेज दी गई थीं। प्राप्त हुए 122 संदर्भों में से (2) का उत्तर पहले ही भेजा जा चुका है। शेष मामलों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षे प्रशासनों से सूचना प्राप्त न होने के कार उत्तर नहीं भेजा जा सका है।

(घ) इस सम्बन्ध में विलम्ब के लिए किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है।

1458. *[Transferred to 14th May,* 1993]

Sale of goods without BIS Certificate

1459. SHRI V. HANUMANTHA RAO : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the companies are selling their products by putting ISI Mark on them without getting any certificate from the Bureau of Indian Standards;

(b) if so, the number of such cases detected so far State-wise; and

(c) what action has been taken in regard thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF